संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/रा0ब0सहा0नि0/सेल–2/2018/458 भोपाल,दिनांक 19/07/2018

प्रति,

समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः–राज्य बीमारी सहायता निधि योजानान्तर्गत चौईथराम अस्पताल, इन्दौर की मान्यता स्थगित करने बाबत्।

संदर्भः–चौईथराम अस्पताल इन्दौर द्वारा राज्य बीमारी सहायता निधि के हितग्राही से निर्धारित उपचार पैकेज से अधिक राशि वसूलना।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं के संज्ञान में यह बात आई है कि राज्य बीमारी सहायता निधि योजना अन्तर्गत चौईथराम अस्पताल इन्दौर द्वारा किडनी प्रत्यारोपण के उपचार हेतु मरीजों से निर्धारित पैकेज रूपये 2.00 लाख से अधिक 4.00 लाख की वसूली की जाती है। इस संबंध में प्रकरण की जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। इस कारण चौईथराम अस्पताल, इन्दौर का मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि के आदेश क्रमांक 04/रा.बी.स.नि./सेल–2/2017/355 दिनांक 13.07.2017 द्वारा दी गई मान्यता आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है।

अतः पालनार्थ प्रेषित।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

संचालक
स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।

पृ.क्र./रा0ब0स0नि0/सेल–2/2018/459 भोपाल,दिनांक 19/07/2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. संचालक/उप संचालक, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
5. समस्त, संभागीय आयुक्त (राजस्व), मध्यप्रदेश।
6. समस्त, अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
7. समस्त, क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
8. समस्त, कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति मध्यप्रदेश।
9. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
10. संचालक, चौइथराम अस्पताल एण्ड रिसर्च सेंटर, इन्दौर, म.प्र.।
11. प्रभारी, एम.आई.एस. डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
12. रिशिका श्रीवास्तव, एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड निरूपम शॉपिग मॉल, द्वितिय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल की ओर भेजकर लेख है, कि निर्देशानुसार आगामी आदेश तक रा.बी.स.नि. योजना के ऑनलाईन पोर्टल पर उक्त हॉस्पिटल की मान्यता स्थगित रखी जाये।

संचालक
स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।

20 JUL 2018